अध्याय-III

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 अनियमित प्रशासनिक तथा हकदारी प्रचालन

स्टेम कोशिका जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूरू ने अपने प्रशासन तथा हकदारी मामलों में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अपने स्टाफ को ₹ 2.86 करोड़ के उच्च हकदारियों का भुगतान, अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती पदों के सृजन हेतु संस्वीकृति बिना स्टाफ की भर्ती, आदि जैसी अनियमितताएं हुई।

स्टेम जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरू (आई.एन.एस.टी.ई.एम.) जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य एक संगठनात्मक ढांचा बनाना है जो स्टेम कोशिका अनुसंधान में विशेषज्ञता का विकास प्रोत्साहित करता है, मूल वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों के बीच इस प्रकार अन्तरक्रियाओं का पोषण करता है जो मानव स्टेम कोशिकाओं के चिकित्सीय उपयोग में अड़चनों को दूर करने के लिए अभिनव अनुसंधान की सहायता करते हैं।

आई.एऩ.एस.टी.ई.एम. ₹ 203.10 करोड़ की कुल लागत से 2008-09 से 2011-12 तक के चार वर्षों की अवधि हेतु परियोजना रूप में अनुमोदित किया गया था (अगस्त 2008)। संस्थान का परियोजना रूप में कार्य करना जारी रहा और इसकी अवधि मार्च 2016 तक बढ़ाई गई।

भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय होने और राजकोष से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने पर आई.एन.एस.टी.ई.एम. को अपने प्रशासनिक कार्यचालन में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में आई.एऩ.एस.टी.ई.एम. के प्रशासनिक तथा हकदारी कार्यों में सरकारी नियमों तथा विनियमों के पालन की मात्रा की जांच की। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.1.1 भर्ती नियम न बनाना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के निर्देशों (दिसम्बर 2010) के अनुसार, जैसे ही नए पद/सेवा के सृजन अथवा किसी पद उन्नयन करने अथवा किसी सेवा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया जाता है, वैसे ही भर्ती नियम/सेवा नियम बनाने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। भर्ती नियम सभी पदों के लिए बनाए जाने चाहिए जिनके एक वर्ष अथवा अधिक तक चलने की सम्भावना है। भर्ती नियमों को प्रत्येक पद के लिए चयन मानदण्ड, शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकताएं, अनुभव तथा आरक्षण रोस्टर, आयु सीमा, चयन समिति के संघटन, चयन की रीति, भर्तियों के विभिन्न चरणों को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के ब्यौरे, आदि अनुबद्ध करने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे। आगे आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने 11 पदों और नौ अस्थाई पदों की भर्ती की। भर्ती नियमों के अभाव में नियमित स्टाफ की भर्ती अनियमित थी। इसके अलावा, इसके कारण आई.एन.एस.टी.ई.एम. द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई जिन पर अनुवर्ती पैराग्रॉफों में चर्चा की गई है।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया (फरवरी 2016) और बताया कि प्रारूप भर्ती नियम अनुमोदन हेतु डी.बी.टी. को प्रस्तुत किए गए थे।

तथ्य यह शेष रहा कि संस्थान ने भर्ती नियम अनुमोदित कराए बिना नियमित स्टाफ की भर्ती की।

3.1.2 पदों की संस्वीकृति बिना स्टाफ की भर्ती

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), व्यय विभाग (डी.ओ.ई.) के निर्देशों (सितम्बर 1998) के अनुसार स्वायत्त निकायों के शासी निकाय पदों के सृजन को छोड़कर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उपयोक्त शक्तियों की सीमा तक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए पदों के सृजन हेतु एम.ओ.एफ. तथा डी.ओ.पी.टी. का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जी.एफ.आर.) के नियम 22 के अनुसार कोई भी अधिकारी सरकारी निधियों से खर्च नहीं कर सकता है अथवा व्यय वाली कोई देयता में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत न किया गया हो। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने संस्वीकृति बिना पदों पर स्टाफ नियुक्त किया जैसी नीचे चर्चा की गई है:

i) संकाय संवर्ग में यद्यपि डी.बी.टी. द्वारा आठ पद अनुमोदित किए गए थे परन्तु एम.ओ.एफ. तथा डी.ओ.पी.टी. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इन पदों के प्रति पांच व्यक्ति तैनात थे। उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त नौ अन्य शैक्षणिक पदों तथा 11 प्रशासनिक पदों को भरने के लिए प्रस्ताव डी.बी.टी., एम.ओ.एफ. व डी.ओ.पी.टी. की मंजूरी हेतु लम्बित थे। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने इन पदों के प्रति नौ अस्थाई पद प्रचालित किए।

आपत्ति स्वीकार करते समय आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (फरवरी 2016) कि वांछित व्यक्ति प्राप्त करने के लिए संरचित भर्ती नियम मार्ग के स्थान पर अस्थाई रूप के माध्यम से भर्ती की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमित तथा अस्थाई पदों के नियमित आधार पर सृजन तथा प्रचालन को डी.बी.टी., डी.ओ.पी.टी. तथा एम.ओ.एफ. का अनुमोदन अपेक्षित था।

ii) स्टेम कोशिका अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.सी.आर.) डी.बी.टी. से वित्तपोषण से परियोजना रूप में (वर्ष 2005 से) क्रिश्चन मेडीकल कालेज, वेल्लौर (सी.एम.सी.) में कार्य कर रहा था। संघ मंत्रिमंडल ने इसकी परियोजना की समाप्ति पर आई.एन.एस.टी.एम. के साथ इस इकाई का एकीकरण अनुमोदित किया (2008)। तदनुसार, सी.एस.सी.आर. का 1 जुलाई 2011 से आई.एऩ.एस.टी.ई.एम. के साथ एकीकरण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आई.एऩ.एस.टी.ई.एम. के साथ सी.एस.सी.आर. के एकीकरण के बाद भी सी.एस.सी.आर. का स्टाफ सी.एम.सी. तथा सी.एस.सी.आर./आई.एऩ.एस.टी.ई.एम. दोनों के लिए कार्य करता रहा। ऐसे स्टाफ का कार्य आवंटन अलग से निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

2011-12 से 2013-14 (जुलाई 2011 से मार्च 2014) की अवधि के दौरान सी.एस.सी.आर./आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने ऐसे स्टाफ के पारिश्रमिक के प्रति ₹ 1.54 करोड़ का व्यय किया[10]। कार्य की मात्रा की पहचान और निर्दिष्ट किए बिना एक मुश्त वेतन और हकदारी का भुगतान सही नहीं था।

आपत्ति स्वीकार करते हुए आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि मामला डी.बी.टी. के साथ उठाया जाएगा।

---

[10] वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 33.05 लाख, 2012-13 के दौरान ₹ 37.45 लाख और वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 83.14 लाख

3.1.3 अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती

आई.एन.एस.टी.ई.एम. में नियमित स्टाफ के भर्ती अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अपने नियमित स्टाफ की भर्ती के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया मनमानी, व्यक्तिपरक थी और केन्द्र सरकार में भर्ती के लिए निर्धारित नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, जैसा नीचे चर्चा की गई है:

i) आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयु सीमा के पात्रता मानदण्ड शिथिल करने के द्वारा प्रशासनिक सहायक और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अस्थाई क्षमता में आई.एन.एस.टी.एम. में कार्यरत दो व्यक्तियों की भर्ती की।

ii) आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने ₹ 8700 के ग्रेड वेतन में दो सहायक अन्वेषकों की भर्ती की। लेखापरीक्षा में पाया कि भर्ती की किसी नियत प्रक्रिया जैसे चयन मानदण्ड (जैसे आयु, अर्हता तथा अनुभव), चयन की रीति, आदि विधिवत निर्धारित कर समाचार पत्र में विज्ञापन अपनाए बिना भर्ती की गई थी। दो कर्मचारियों ने सीधे अपने शैक्षिक एवं कार्य विवरण प्रस्तुत किए और पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे। डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अपनाए बिना व्यक्तियों की भर्ती अनियमित थी।

iii) भारत में विदेशी मूल के नागरिकों के रोजगार पर निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) की अनुमति ली जानी अपेक्षित है। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि दो व्यक्तियों, जो भारतीय नागरिक नहीं थे, की भर्ती के संबंध में एम.एच.ए. का अनुमोदन अभिलेख में नहीं था।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने कहा (फरवरी 2016) कि आयु के पात्रता मानदण्ड शिथिल करना रोजगार नीति के लचीले प्रकार का एक भाग था और बाद में वांछित व्यक्तियों से पदों को भरने के लिए नियमित लगातार नियुक्ति अपनाई गई थी। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने आगे बताया कि संकाय के पद के लिए खुली विज्ञापन विधि का सहारा नहीं लिया गया था और जब और जैसे आवश्यकता हुई, भर्ती की गई थी। विदेशी नागरिकों की नियुक्ति के संदर्भ में आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया कि एक मामले में नियुक्ति डी.बी.टी. द्वारा की गई थी और दूसरे मामले में एम.एच.ए. का अनुमोदन मांगा जा रहा था।

उपर्युक्त सभी मामलों में उत्तर दर्शाता है कि व्यक्तियों की भर्ती मनमाने ढंग से किया गया था तथा भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

3.1.4 स्टाफ को अनियमित तथा उच्च हकदारियां देना

जी.एफ.आर. का नियम 209(6)(iv)(क) अनुबद्ध करता है कि सभी अनुदानग्राही संस्थान अथवा संगठन जो सहायता अनुदान के रूप में अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं, को अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा निबन्धन सामान्यतया ऐसे बनाने चाहिए जो केन्द्र सरकार में कर्मचारियों की समान श्रेणियों पर लागू शर्तें तथा निबन्धनों से कुल मिलाकर अधिक नहीं हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने स्टाफ को अनियमित रूप से उच्च हकदारियां मंजूर की।

3.1.4.1 स्थानान्तरण पर अस्वीकार्य यात्रा भत्ता

सरकारी नियमों[11] के अनुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (टी.ए.) स्वीकार्य है जब कोई सरकारी कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार स्थानान्तरण टी.ए. या तो प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर अथवा ऐसे पदों को नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के बाद केन्द्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ती पर स्थाई केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कर्मचारियों को भी स्वीकार्य[12] है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2009-14 की अवधि के दौरान आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने आठ कर्मचारियों, जो विदेश में कार्यरत थे, को अस्थाई आधार पर आई.एन.एस.टी.ई.एम. को उनकी सीधी भर्ती पर यात्रा लागत तथा घरेलू सामान की परिवहन लागत सहित ₹ 34.64 लाख के स्थानान्तरण टी.ए. का भुगतान किया। चूंकि स्टाफ अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए थे और किसी अन्य पूर्व मुख्यालय से स्थानान्तरित नहीं किए गए थे इसलिए स्थानान्तरण टी.ए. स्वीकार्य नहीं था। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने इस अस्वीकार्य राशि को वसूल नहीं किया था।

यह स्वीकार करते हुए कि स्थान परिवर्तन प्रभारों का भुगतान सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था, आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (फरवरी 2016) कि स्थान परिवर्तन प्रभारों का भुगतान लचीलेपन एवं संस्थान में गुणवत्ता श्रमशक्ति रखने हेतु दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थान परिवर्तन प्रभारों का भुगतान सरकारी नियमों तथा विनियमों के प्रतिकूल था।

---

[11] मूल नियम तथा सेवा विनियमन भाग II का एस.आर. 2(18)

[12] नियम एस.आर. 114 के अधीन जी.ओ.आई. निर्णय (1)

3.1.4.2 किराया आवास प्रभारों का अधिक भुगतान

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम में शामिल प्रावधानों के अनुसार जहाँ निजी आवास पूर्णतया आवासीय प्रयोजन हेतु किराए पर लिया जाता है वहाँ आवास के लिए अथवा आवासीय भाग के लिए सरकार द्वारा भूस्वामी को देय किराया वर्ग के अधिकारी जिसके लिए यह किराए पर ली गई है से एफ.आर. 45 क - IV(ख) के अधीन वसूली योग्य कुल किराए और गृह किराया भत्ता (एच.आर.ए.) जिसका वह अधिकारी सामान्यतया हकदार होगा, के बराबर राशि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार देय पट्टा आवास प्रभार एच.आर.ए. तथा कर्मचारी की लाइसेंस फीस हकदारी के अन्दर होना चाहिए।

संवीक्षा से पता चला कि 2009-14 की अवधि के दौरान, आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने 11 स्टाफ (स्थाई तथा अस्थाई) को पट्टाकृत आवास के प्रति स्वीकार्य एच.आर.ए. से अधिक ₹ 37 लाख तक किराए का भुगतान किया। यह वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों का उल्लंघन था। आई.एन.एस.टी.ई.एम. में सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक भुगतान वसूल नहीं किया था।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014) कि कर्मचारियों के लिए उनकी स्वयं की आवास सुविधा न होने पर संस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए निजी आवास किराए पर लेने की नीति स्थापित की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति सरकारी नियमों के प्रतिकूल थी।

3.1.4.3 विदेशी दौरों पर ₹ 1.08 करोड़ का अनियमित व्यय

लेखापरीक्षा ने देखा कि संस्थान के वैज्ञानिकों को 2009-14 की अवधि के दौरान 438 दिनों के लिए सेमीनारों, कार्यशालाओं, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण आदि के लिए विदेश दौरे की अनुमति दी गई थी। ये विदेशी दौरे सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में डी.बी.टी. के सचिव/प्रभारी मंत्री के स्थान पर संस्थान के डीन द्वारा अनुमोदित किए गए थे। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने डी.बी.टी. द्वारा जारी मुख्य अनुदान से विदेश यात्राओं पर ₹ 1.08 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने बताया (सितम्बर 2014/दिसम्बर 2014) कि दौरे वैज्ञानिकों को विज्ञान के साथ रखने के लिए किए गए थे और अन्तरक्रियाएं विज्ञान अनुसंधान के लिए बहुत महत्व की थी।

तथ्य यह शेष रहा कि विदेशी दौरे सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में अनुमत किए गए थे तथा ₹ 1.08 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

3.1.5 परामर्शदाताओं के नियोजन पर अनियमित व्यय

जी.एफ.आर. के नियम 163 से 177 परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। डी.बी.टी. ने इन प्रावधानों तथा परामर्शदाताओं के नियोजन की नीतियों और प्रक्रिया नियम पुस्तक का पालन करने का अपने स्वायत्त निकायों को निर्देश दिया (जून 2010)।

भर्तियां जी.एफ.आर. तथा एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों में बताई गई भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना की गई थीं जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

i) जी.एफ.आर. नियम 163 तथा 165 के अनुसार बाह्य व्यावसायिक, परामर्शी फर्म अथवा परामर्शदाता को विशेष कार्य के लिए किराए पर लिया जा सकता है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) मार्गनिर्देशों के अनुसार, परामर्शदाताओं की भूमिका बौद्धिक, सलाहकारी और अनुशंसात्मक होनी चाहिए एवं अंतिम प्राधिकार व जिम्मेदारी केवल विभागीय अधिकारियों की होनी चाहिए (दैनिक सामान्य कार्य के लिए नहीं जो सरकार में उपलब्ध है) और उच्च गुणवत्ता सेवाओं (व्यावसायिक) की अपेक्षा करने वाली स्थितियों में जिसके लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं रखता है, होना चाहिए।

ii) जी.एफ.आर. के नियम 168 तथा 169 के अनुसार सलाहकारों का चयन ख्याति के कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति की उनकी अर्हताओं के आधार पर होगी। उनका चयन उनमें से कम से कम तीन अभ्यर्थियों, जो नियुक्ति में अभिव्यक्त हित रखते हैं, की अर्हताओं की तुलना के माध्यम से होगा। एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार चयन परामर्शी मूल्यांकन समिति (सी.ई.सी.) द्वारा किया जाएगा, जो शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के लिए अंक देगी और नियुक्ति के लिए अधिकतम उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया कि आई.ए.एस.टी.ई.एम. ने तीन अव्यवसायिकों को प्रशासन, वित्त/लेखा एवं परियोजना में नियमित पदों पर बिना विज्ञापन के भर्ती किया था तथा उनका योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों, जो व्यक्त हित रखते थे, की तुलना के माध्यम से चयन नहीं किया गया था। चयन सी.ई.सी. द्वारा नहीं किया गया था परन्तु नियुक्ति सीधे दी गई थी और परामर्शदाताओं के रूप में भर्ती किए गए थे तथा ये व्यक्ति सामान्य कार्यालय कार्य जैसे सामान्य प्रशासन, भुगतान के लिए चैक पर हस्ताक्षर करना, लेखा, विदेशी पंजीकरण कार्यवाही, वित्तीय प्रबंधन आदि के लिए लगाए गए थे।

इसके अलावा परामर्शदाताओं को न केवल समेकित वेतन का भुगतान किया गया बल्कि सरकार के नियमित कर्मचारियों के एच.आर.ए., टी.ए., चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पट्टाकृत आवास, अनुग्रह भुगतान, निष्पादन सम्बन्धित प्रोत्साहन और छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) की प्रतिपूर्ति का भी भुगतान किया गया था।

आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के दौरान इन परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक के लिए ₹ 1.06 करोड़ का व्यय किया। इसमें से ₹ 13.58 लाख की राशि भत्तों के भुगतान के लिए थी जैसा ऊपर उल्लेख किया गया।

इस प्रकार, प्रशासन, वित्त/लेखा तथा परियोजना में नियमित कार्य के लिए सलाहकार के रूप में गैर पेशेवर कर्मचारियों का नियोजन जी.एफ.आर., एम.ओ.एफ. के प्रावधानों और सी.वी.सी. मार्गनिर्देशों के प्रतिकूल था जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया।

तथ्य स्वीकार करते हुए, आई.एऩ.एस.टी.ई.एम. ने बताया (फरवरी 2016) कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति आवश्यकता आधार पर थी और व्यक्ति संदर्भ/नामांकन के माध्यम से नियुक्त किए गए थे।

तथ्य यह शेष रहा कि परामर्शदाता लागू नियमों एवं निर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल नियुक्त किए गए थे।

3.1.6 निष्कर्ष

स्टेम कोशिका जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान (आई.एन.एस.टी.ई.एम.) ने स्टाफ के भर्ती और उनके पारिश्रमिक के भुगतान में व्यापक और प्रभावी प्रशासनिक तन्त्र स्थापना नहीं किया था। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने अनुमोदित भर्ती नियम स्थापित किए बिना नियमित पदों के प्रति भर्तियां की। आई.एन.एस.टी.ई.एम. ने आगे पदों के सृजन की संस्वीकृत प्राप्त किए बिना स्टाफ की भर्ती की। लेखापरीक्षा ने पाया अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती, सरकारी नियमों तथा निर्दशों के उल्लंघन में अपने स्टाफ को ₹ 2.86 करोड़ की अनियमित तथा उच्च हकदारी तीन परामर्शदाता नियुक्त करने में अनियमितताएं जैसे मामले भी देखे।

मामला जनवरी 2016 में डी.बी.टी. को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।